भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1662
दिनांक 15.03.2023/24 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी धन

1662 # श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) कितने गैर-सरकारी संगठनों ने कानून के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुपालन करते हुए अपने वार्षिक खातों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है या नहीं करवाई है;
(ग) क्या सरकार को एनजीओ द्वारा विदेशी निधियों के उपयोग के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनजीओ के विरूद्ध एनजीओ-वार और राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): विवरण अनुलग्नक –I के रूप में संलग्न है।

(ख): दिनांक 10/03/2023 तक 16,383 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध है, जिनमें से 14,966 संगठनों ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ): एफसीआरए पंजीकृत संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरूपयोग या विपथन के संबंध में पूर्व में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निपटाया जाता है।

*****

(राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1662 दिनांक 15.03.2023)

अनुलग्नक-।

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर के लिए "गैर सरकारी संगठनो द्वारा प्राप्त विदेशी धन" के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1662 का अनुलग्नक।

एफसीआरए संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्ति का राज्य-वार विवरण:-

क्रम सं०	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश	वितीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त विदेशी अभिदाय (रुपए करोड़ में)	वितीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त विदेशी अभिदाय (रुपए करोड़ में)	वितीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त विदेशी अभिदाय(रुपए करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.52	3.68	2.49
2	आंध्र प्रदेश	1017.15	954.57	950.09
3	अरुणाचल प्रदेश	12.57	21.71	27.50
4	असम	162.48	165.18	197.53
5	बिहार	226.08	217.37	229.96
6	चंडीगढ़	39.19	19.15	20.08
7	छत्तीसगढ़	48.39	52.13	71.76
8	दादरा और नगर हवेली	4.12	2.43	2.42
9	दिल्ली	4250.69	3904.53	5802.62
10	गोवा	34.58	43.85	55.19
11	गुजरात	763.52	904.45	1495.71
12	हरियाणा	82.09	68.89	106.71
13	हिमाचल प्रदेश	228.61	215.96	233.39
14	जम्मू और कश्मीर	49.85	55.93	55.76
15	झारखंड	130.72	130.31	162.60
16	कर्नाटक	1792.83	2291.33	3140.73
17	केरल	867.83	913.21	974.08
18	मध्य प्रदेश	220.06	242.63	268.31
19	महाराष्ट्र	1549.57	1826.95	2178.85
20	मणिपुर	35.35	50.97	60.08
21	मेघालय	59.64	67.56	78.35
22	मिजोरम	2.63	2.67	15.05
23	नागालैंड	48.94	46.67	57.18
24	ओडिशा	289.87	249.98	288.02
25	पुदुचेरी	27.37	29.34	25.63
26	पंजाब	171.11	140.83	207.29
27	राजस्थान	158.39	179.23	285.09
28	सिक्किम	9.04	6.51	7.46
29	तमिलनाडु	2162.43	2134.06	2507.23
30	तेलंगाना	623.75	815.45	1114.44
31	त्रिपुरा	10.74	11.63	12.37
32	उत्तर प्रदेश	372.69	361.84	375.39
33	उत्तराखंड	124.08	129.46	170.24
34	पश्चिम बंगाल	727.16	798.18	905.50

*****